

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

पटना, दिनांक—.....

का0आ0 सं0-8बी/विविध-अरा0आ0नि0-27/2023 -...../—श्री मदन कुमार श्रीवास्तव, अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली सम्प्रति कार्यालय अधीक्षक, सारण द्वारा जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली के पदस्थापन अवधि में दस्तावेज के निबंधन के क्रम में रोक सूची का मिलान संचिका में संधारित हार्ड कॉपी से सही ढंग से नहीं किए जाने एवं संबंधित खेसरा को रोक मुक्त लिख कर दस्तावेज को निबंधन हेतु आगे बढ़ाने के कारण विक्रय वसीका सं0-812, दिनांक-27.01.2023 का निबंधन हो गया, का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप पाये जाने के आलोक में श्री श्रीवास्तव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया जाता है।

2. श्री श्रीवास्तव, को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा।
3. श्री श्रीवास्तव, का निलंबन अवधि में मुख्यालय- सहायक निबंधन महानिरीक्षक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 8बी/विविध-अरा0आ0नि0-27/2023 - 3226

पटना, दिनांक:- 16-6-25

प्रतिलिपि:-समाहर्ता-सह-जिला निबंधक, वैशाली, हाजीपुर/समाहर्ता-सह-जिला निबंधक, सारण, छपरा/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमण्डल, छपरा/जिला अवर निबंधक, वैशाली, हाजीपुर/जिला अवर निबंधक, सारण, छपरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण छपरा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री मदन कुमार श्रीवास्तव, अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली सम्प्रति कार्यालय अधीक्षक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02. सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना से अनुरोध है कि श्री मदन कुमार श्रीवास्तव, अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली सम्प्रति कार्यालय अधीक्षक, सारण, के योगदान की सूचना अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।



सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।